कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 3148/36 सी

दिनांक रानीखेत अक्टूबर 27/,2021.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में भतरौजखान निगराली भिकियासैण मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं0–11260/2015)।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक शून्य आपत्ति दिनांक 20.10.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि आपके द्वारा दिनांक 20.10.2021 को लगायी गयी आपत्ति उपरोक्त मार्ग से सम्बन्धित नहीं है। यह प्रकरण सम्भवतः प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के अन्तर्गत पड़ता है, जिसकी आपत्तियों का निराकरण उन्ही के खण्ड द्वारा किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण को प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा को भेजने की कृपा करें तथा इस खण्ड के प्रस्ताव संख्या–11260/2015 पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :– आपत्ति में प्रेषित पत्र की छायाप्रति।

भवदीय,

(ललित कुमार गोयल)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक /36सी. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(द्वितीय), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Phone/ Fax: 0135-2767611
E-mail:nodalofficerddun@gmail.com

पत्रांक– 882 / FP/UK/ROAD/16207/2015 :देहरादून: दिनांक 29 सितम्बर, 2021

सेवा मे,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषयः–जनपद–अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत कटारमल सूर्य मन्दिर से बिरारा–कमौली होते हुए ज्योली रानीखेत तक लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.985 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–आपकी पत्र संख्या–1267 / 12–1(2) दिनांक 21.09.2021,

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी प्रस्ताव की हार्ड प्रतियों के गहन परीक्षणोपरान्त कतिपय अपूर्णताऐं दृष्टिगोचर हो रही है जो निम्नानुसार हैः–

1. प्रस्ताव की हार्ड प्रतियों में विषय सूची संलग्न नहीं की गयी है। विषय सूची पृष्ठ संख्या सहित संलग्न की जाय।
2. प्रस्ताव मे FRA, 2006 के प्रपत्र / अभिलेख छायाप्रतियों में, जिनमें कतिपय पृष्ठ अपठनीय हैं, संलग्न किये गये हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकार नही किया जाता है। प्रस्ताव की मूल प्रति में FRA, 2006 की मूल प्रति संलग्न की जाय तथा शेष दो प्रतियों मे प्रपत्रों की पठनीय सत्यापित प्रतियॉं संलग्न की जाय।
3. प्रस्तावित मोटर मार्ग की वन्यजीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में सलग्न किया जाय।
4. ग्राम पचायत ढौरा तथा ग्राम पंचायत भैसोडा के तोक कुन्यूडा के ग्राम सभा की अनापत्ति प्रमाण–पत्र की छाया प्रतियॉं संलग्न की गयी हैं। मूल प्रति संलग्न की जाय।
5. प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के आर0सी0सी0 पिलरों से सीमांकन के प्रमाण–पत्र में लागू नहीं अंकित किया गया है। सीमांकन हेतु आर0सी0सी0 पिलरों का प्रावकलन एवं व्यय वहन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाय।

अतः प्रस्तावक विभाग अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर उपरोक्त प्रस्ताव की हार्ड प्रतियॉं वापस प्राप्त करने हेतु निर्देशित करते हुए अपूर्णताओं का पूर्ण निराकरण करवाकर प्रभागीय वनाधिकारी / वन संरक्षक के माध्यम से परिपूर्ण प्रस्ताव तीन प्रतियों में (मूल प्रति सहित) इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या :– 882 / FP/UK/ROAD/16702/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।